

मीडिया सेल
कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु कल सायं 06:00 बजे
के बाद से प्रचार-प्रसार पर लगेगी रोक
मतदाताओं को पोलिंग बूथों पर आवश्यक सुविधाएं
उपलब्ध कराने के लिए गए निर्देश
द्वितीय चरण में 09 जिलों की 55 विधान सभा सीटों
के लिए 14 फरवरी को होगा मतदान

लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी, 2022

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के द्वितीय चरण का निर्वाचन आगामी 14 फरवरी, 2022 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं कोविड सुरक्षित तरीके से कराने हेतु आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। द्वितीय चरण में प्रदेश के 09 जनपदों की 55 विधान सभा सीटों के लिए प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित है। दूसरे चरण के 09 जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूँ, बरेली तथा शाहजहांपुर में मतदान होगा। द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु 12 फरवरी को सायं 06:00 बजे के बाद से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार-प्रसार पर प्रभावी रूप से रोक लग जायेगी और यह रोक द्वितीय चरण का मतदान समाप्त होने तक अर्थात् 48 घण्टे तक प्रभावी रहेगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि निर्गत निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार 14 फरवरी को दूसरे चरण की जिन 55 विधान सभा सीटों के लिये मतदान 01-बेहट, 02-नकुड़, 03-सहारनपुर नगर, 04-सहारनपुर, 05-देवबंद, 06-रामपुर मनिहारा (अ०जा०), 07-गंगोह, 17-नजीबाबाद, 18-नगीना (अ०जा०), 19-बढ़ापुर, 20-धामपुर, 21-नहतौर (अ०जा०), 22-बिजनौर, 23-चाँदपुर, 24-नूरपुर, 25-कांठ, 26-ठाकुरद्वारा, 27-मुरादाबाद ग्रामीण, 28-मुरादाबाद नगर, 29-कुन्दरकी, 30-बिलारी, 31-चंदौसी (अ०जा०), 32-असमोली, 33-सम्भल, 34-स्वार, 35-चमरव्वा, 36-बिलासपुर, 37-रामपुर, 38-मिलक (अ०जा०), 39-धनौरा (अ०जा०), 40-नौगावां सादात, 41-अमरोहा, 42-हसनपुर, 111-गुन्नौर, 112-बिसौली (अ०जा०), 113-सहसवान, 114-बिल्सी, 115-बदायूँ, 116-शेखूपुर, 117-दातागंज, 118-बहेड़ी, 119-मीरगंज,

120—भोजीपुरा, 121—नवाबगंज, 122—फरीदपुर (अ0जा0), 123—बिथरी चैनपुर, 124—बरेली, 125—बरेली कैंटोनमेन्ट, 126—आंवला, 131—कटरा, 132—जलालाबाद, 133—तिलहर, 134—पुवायॉ, (अ0जा0), 135—शाहजहांपुर तथा 136—ददरौल विधान सभा सीटों में होगा।

श्री तिवारी ने बताया कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करायी गयी हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर समुचित व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने हेतु प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
